न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :–ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 134/2022

अनुवान

1 गीता पुत्री माधु जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी पनोतिया।

2. मु. हेमा पुत्री माधु जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां।

प्रार्थीगण..........

बनाम

1. श्री माधु पुत्र स्व नारायण जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी पनोतिया
2. श्री महेन्द्र पुत्र रामगोपाल माता लाली जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब फूलियाकलां
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय उप पंजीयक कार्यालय फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थीगण.......

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री विष्णुदत शर्मा, सुनील शर्मा

दिनांक :– 23.04.2026

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता राजस्व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं. 1 की पुश्तेनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया भू. अभिलेख निरिक्षक अरवड़ फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड क्रमशः हाल आधार जमाबंदी संवत 2019 के अनुसार वर्णन निम्न प्रकार है। हाल आराजी नं. संवत 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या नया 26 आराजी नं. 2799/813 रकबा 0.1375 किस्म चाहा है। खाता संख्या पुराना 318 खसरा 813 नंबर रकबा 0.16 है0 किस्म चाही द्वितीय है। ग्राम पनोतिया में विपक्षी नं. 1 के पिता नारायण जी कुमावत की ख़रीद शुदा आराजियात स्थित थी एवं नारायण जी क़ी मृत्यु के बाद विरासत से खातेदार नारायण जी के तीन पुत्र जिसमें माधु विपक्षी नं. 1 उगमा व बदरी के खातेदारी दर्ज की गयी थी एवं तीनों भाईयों की आपसी रजामंदी से खातेदारी अलग अलग की गई जिसके तहत विपक्षी नं. 1 के हिस्से में आ.नं. 2799/813 रकबा 0.1375 है0 दर्ज की गई।उक्त आराजी पुश्तैनी नारायण जी की होने से प्रार्थीगण के जन्म से ही उक्त आराजी में हक अधिकार निहित हो गये थे। वर्तमान में प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार उक्त पुश्तेनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रहा है। विवादित आराजियात प्रार्थीगण व विपक्षी नं. 1 की पुश्तेनी आराजियात है जिसमें प्रार्थीगण व विपक्षी नं. 1 का एवं विपक्षी नं. 2 की माता मु. लाली का बराबर बराबर 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित है एवं विपक्षी नं. 1 ने अपनी तीन पुत्रियों के जिवित होते हुए पुश्तेनी आराजियात की विपक्षी नं. 1 की पुत्री लाली के पुत्र महेन्द्र जी कि विपक्षी नं. का दोहिता है उसके पक्ष मे दिनांक 25.4.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दी उक्त बिकाव विपक्षी नं. 1 ने राजस्व कर्मियों से मिला भगती कर किया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगणों को नहीं हो सकी विपक्षीगण नं. 1 ने विधि के प्रचलित सिद्वान्त के विपरित जाकर गैर कानूनी रूप से उक्त बिकाव की है दिनांक 8.5.2022 को प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त पैतृक भूमि पर गई तब मौके पर विपक्षी नं. 2 आ गया और गाली गलोच कर विवाद करने लगा कि यह जमीन तो मेने माधु से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद ली है आज के बाद आराजी पर पैर मत रखना वरना ठीक नहीं रहेगा। चुकि उक्त आराजी पैतृक होकर प्रार्थीगण का उक्त आराजी में 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित है इसलिए प्रार्थीगण उक्त अवैध रूप से कराई गई रजिस्ट्री विक्रय विलेख को शुन्य कराते हुये प्रार्थीगण 1/4–1/4 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने हेतु वाद पेश किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी जिसमें प्रार्थीगण का 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित है एवं उसी अनुसार मौके पर है। इसलिए विपक्षीगण नं. 1 द्वारा प्रार्थीगण के हिस्सों का जो विकास किया है वो प्रार्थीगण के हक हिस्से अधिकार अनुसार बेअसर व शुन्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वादीगणों प्रार्थीगणों के दादा नारायण के खातेदारी की होने से प्रार्थीगण का अपने जन्म से ही पुश्तैनी आराजी मे हकनिहित होने से व कब्जा काश्त होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है प्राईमा पेशी केश है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की 1/4–1/4 भूमि के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त मे बाधा कारित की या भूमि का अन्यत्र विकास कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनिय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी परमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात जो कि पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण 1/4–1/4 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है उपयोग उपभोग मे बाधा कारित नहीं करे न करावें एवं बेदखल नही करे विपक्षी नं. 2 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की हिस्से की 1/4–1/4 भूमि को कही रहन बिकाव नही करे और विपक्षी नं 3 व 4 ऐसे दस्तावेज की पंजीयन नही करे न करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए। बावजूद इत्तला अप्रार्थीगण गैरहाजिर होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

पत्रावली पर अंतिम एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी के पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात जो कि पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण 1/4–1/4 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है उपयोग उपभोग मे बाधा कारित नहीं करे न करावें एवं बेदखल नही करे विपक्षी नं. 2 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की हिस्से की 1/4–1/4 भूमि को कही रहन बिकाव नही करे और विपक्षी नं 3 व 4 ऐसे दस्तावेज की पंजीयन नही करे न करावे।

बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को निर्णित करते समय निम्न तीन तत्वों का अस्तित्व सुनिश्चित करना है :–

(1) प्रथम दृष्ट्या प्रकरण

(2) अपूर्णनीय क्षति

(3) सुविधा का संतुलन

(1) प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :–पत्रावली के संलग्न दस्तावेज एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया भू. अभिलेख निरिक्षक अरवड़ फूलियाकलां खाता संख्या नया 26 आराजी नं. 2799/813 रकबा 0.1375 भूमि के वर्तमान खातेदार माधुलाल पुत्र नारायण लाल दर्ज है। प्रार्थीयागण ने उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण तथा विवादित आराजी खसरा सं 2799/813 पर काश्ज कब्जा होने के आधार पर घोषणा का वाद पेश किया है। अप्रार्थीगण की तरफ से पर्याप्त समय देने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर पुश्तेनी होने के कारण काश्त करना बताया है। इसका खण्डन पत्रावली पर नहीं है। चूंकि वाद का निर्धारण साक्ष्य सबुत लेकर गुण अवगुण पर ही किया जाना है। अगर इस दौरान राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन होता है तो वाद बहुलता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रकरण प्रतीत होता है।

(2) अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन :– सुविधा के मध्यनजर दोनों तत्वों का एक साथ विवेचन किया जा रहा है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों से आराजी संख्या 2799/813 पुश्तैनी प्रतीत होती है यदि अप्रार्थीगण उक्त को खुर्द–बुर्द कर देते है एवं प्रार्थीयागण अपने वाद में सफल हो जाता है तो प्रार्थीयागण को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है। अतः अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होता है।

चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों तत्व प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जैर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: क्रियान्विति आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 राजस्व ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया भू. अभिलेख निरिक्षक अरवड़ फूलियाकलां खाता संख्या नया 26 आराजी नं. 2799/813 रकबा 0.1375 हैक्टेयर भूमि का इस प्रार्थना पत्र संबंधित राजस्व वाद के निस्तारण तक बेचान, बक्षीस, हस्तान्तरण आदि नहीं करें एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उपर्युक्त अस्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजी के राजहक में समर्पण पर/राको–रोड़ा एक्ट की वसूली पर/एमएसीटी कोर्ट की वसूली पर/भू–अवाप्ति के प्रकरणों पर/राजकीय योजनाओं की क्रियान्विति पर/वादग्रस्त आराजी को रहन मुक्त करने के प्रकरणों पर/धारा 251–ए के प्रकरणों की क्रियान्विति पर लागू नहीं होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **23.04.2026** को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां